जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी –श्री वेद प्रकाश मोदी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–186 / 2026
राज्य बनाम् सिक्कू ठाकुर उर्फ विशाल ठाकुर वगैरह

आदेश

24.03.2026 : प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण **1. सिक्कू ठाकुर उर्फ विशाल ठाकुर, उम्र–21 वर्ष, 2. विट्टू ठाकुर उर्फ विश्वजीत ठाकुर, उम्र–22 वर्ष, दोनों पिता – नरेश ठाकुर** की ओर से दाखिल किया गया है जो **धारा–115(2), 126(2), 303(2), 352, 351(2), 109(1), 308(2), 3(5) बी. एन. एस.** के अधीन दर्ज बेगूसराय, **बलिया थाना काण्ड संख्या–07 / 2026** में पुलिस की गिरफ्तारी की आशंका से सशंकित हैं तथा उक्त वाद **वर्तमान में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगूसराय के न्यायालय में लंबित है।**

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 2 पर एक प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से किसी भी न्यायालय में कानून के किसी भी प्रावधान के तहत कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं की गई है।

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 3 पर यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजीत कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मनोज ठाकुर को सुना।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण को झूठे आरोपों में फंसाया गया है क्योंकि उसी दिन सुबह 10:00 बजे सूचक प्रभु प्रसाद और अन्य लोग उनके घर आए और उनके बेटे ने लाठी, ईंट आदि से हमला किया और परिवार के सभी सदस्यो को गाली दी तथा सह–आरोपी मनोज कुमार पर बेरहमी से हमला किया और विशाल कुमार द्वारा जमीन खाली करने के लिए दबाव डालने पर आवेदक संख्या–1 और 2 की माता इंदु देवी द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज कराई थी जिसके लिए बलिया थाना कांड संख्या–08 / 26 दर्ज की गई है। अनुचित दबाव बनाने के लिए सूचक द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया है। गांव के किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। विवाद का मुख्य कारण आवेदकगण संख्या–3 जो आवेदक संख्या–1 और 2 के दादा हैं ने सूचक के घर से सटी हुई लगभग 1.4 कट्ठा जमीन खरीदी थी, जो सूचक ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और आवेदकगण से लगातार जमीन खाली करने के लिए कह रहा है जिसके लिए दोनों पक्षों के बीच स्वामित्व का मुकदमा लंबित है और यही विवाद का मुख्य कारण है। बी. एन. एस. की धारा–109(1), 308(2), 303(2) के तहत कोई मामला नहीं बनता है, शेष धाराएं जमानतीय है। आवेदकगण के विरूद्ध अभियोजन का कथन बिल्कुल ही झूठा एवं आधारहीन है। साथ ही आवेदक अभियुक्तगण न्यायायल द्वारा आरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और उचित राशि के बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अंत में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 01.01.26 को लगभग 11 बजे दिन में राम विलास ठाकुर उर्फ खल्टू ठाकुर, पे. स्व0 तीलो ठाकुर, मनोज ठाकुर, पे.–राम विलास ठाकुर, विट्टू ठाकुर एवं सिक्कू ठाकुर, पे. नरेश ठाकुर, सभी साकिन–मनसेरपुर, थाना–बलिया, जिला–बेगूसराय उसके मनसेरपुर स्थित घर के पीछे आकर उस से पांच लाख रुपया रंगदारी टैक्स में मांगने लगे। वह इसका विरोध किया तो राम विलास ठाकुर बोला कि खींचकर मारो साले को ऐसे यह रंगदारी टैक्स नहीं देगा। उसके बाद सभी मिलकर उसे भुवन मिश्र के घर के सामने पी.सी.सी ढ़लैया रोड पर पटक कर गला में गमछा लगाकर जान मारने की नियत से गमछा को ऐंठने लगा जिससे उसकी सांस रूकने पर था। सभी मिलकर उसे लात–घुसा एवं मुक्का से बेरहमी से मारा। मनोज ठाकुर ईंट से उसके सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया। सिक्कू उसके गला में गमछा का फंसरी लगा कर मारा। बाकी लोग भी

<u>न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय</u>
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–186/2026</u>
<u>राज्य बनाम् सिक्कू ठाकुर उर्फ विशाल ठाकुर वगैरह</u>

24.03.2026 : जहां–तहां मारे। वह लहुलूहान हो गया। उसके शर्ट के जेब से विट्टू ठाकुर उसका एक हजार रुपया ले लिया और सिक्कू ठाकुर उसके गले से सवा भर सोने का चेन कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपया बतौर रंगदारी टैक्स बाजर्बरदस्ती ले लिया। सारा घटना राम विलास ठाकुर के आदेश पर हुआ है। वह 112 नं0 पर पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आई उसे ले गई। उसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बलिया में हुआ उसके बाद बेहतर इलाज एवं एक्स–रे वगैरह वास्ते सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा गया। जहां उसका इलाज हुआ। इस घटना का वीडियों फुटेज भी मौजूद है। रंगदारी वसूलने के सिलसिले में ये लोग उसे बुरी तरह मारपीट कर मरनासन्न कर दिये हैं। ये लोग आदतन अपराधी है। इनके डर से कोई कुछ नहीं बोलता है।

वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि काण्ड दैनिकी की कंडिका–67 में प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2, 6, 7, 8 में वादी एवं साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। आवेदक अभियुक्तगण के ऊपर सूचक का आरोप है कि दिनांक 01.01.26 को लगभग 11 बजे दिन में सूचक के स्थित घर पर आकर पांच लाख रुपया रंगदारी टैक्स मांगे परंतु सूचक द्वारा रंगदारी टैक्स का विरोध करने पर सभी अभियुक्त मिलकर उसे भुवन मिश्र के घर के सामने पी.सी.सी ढ़लैया रोड पर पटक कर गला में गमछा लगाकर जान मारने की नियत से गमछा को ऐंठने लगा जिससे उसकी सांस रूकने पर था। मनोज ठाकुर ईंट से उसके सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया। सिक्कू उसके गला में गमछा का फंसरी लगा कर मारा। बाकी लोग भी जहां–तहां मारे। वह लहुलूहान हो गया। उसके शर्ट के जेब से विट्टू ठाकुर उसका एक हजार रुपया ले लिया और सिक्कू ठाकुर उसके गले से सवा भर सोने का चेन कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपया बतौर रंगदारी टैक्स बाजर्बरदस्ती ले लिया। कांड दैनिकी की कंडिका–46 में जख्मी प्रभु प्रसाद का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है। जख्म प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि प्रभु प्रसाद के सिर के दाहिने ललाट पर जख्म एवं नाक के नीचे चोटिल घाव और नाक से खून बहता जख्म पाया गया है और एक्स–रे रिपोर्ट में सूचक के नाक की हड्डी टूटी पायी गयी है जो गंभीर प्रकृतिक का जख्म है। इसके अलावे सूचक के सिर एवं छाती पर भी जख्म का निशान पाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोप है कि उन्होंने सूचक के गले में गमछा का फंसरी लगाकर एवं बेरहमी से मारपीट किया। अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचना स्वरूप आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. सिक्कू ठाकुर उर्फ विशाल ठाकुर, उम्र–21 वर्ष, 2. विट्टू ठाकुर उर्फ विश्वजीत ठाकुर, उम्र–22 वर्ष, दोनों पिता–नरेश ठाकुर का** अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत (Rejected) किया जाता है।**

लेखापित
ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय

प्रतिलिपि :– इस वाद से संबंधित निम्न न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्